

ई-मेल /
बजट आवंटन

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

जिला विकास अधिकारी,
बुलन्दशहर, आजमगढ़ एवं लखनऊ ।

पत्रांक-सी-015 / बजट अनु0/06-जिला/ 2019-20


लखनऊ :: दिनांक :: 30, सितम्बर, 2019

विषय-वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-13 के "लेखाशीर्षक 2515 के अधीन 06-संग्रहीत जिला कार्यालय" के विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-04/2019/530/ 38-3-2019-42/2018 दिनांक 26.अप्रैल,2019द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय के अन्तर्गत दी गयी स्वीकृति रूपये 2,05,30,36,000.00(रूपये दो अरब पांच करोड़ तीस लाख छत्तीस हजार मात्र)के सापेक्ष संलग्न एलाटमेंट ग्रीड संख्या-C-015.Budget.06ZILA.2019.20 दिनांक 30-09-2019 में दिये गये विवरण के अनुसार रूपये 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) सुसंगत मद में निर्धारित वित्तीय प्राविधानों के अनुसार व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपको आवंटित की जाती है:-

- 1- यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
- 2- इस हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का भी कड़ाई से अनुपालन किया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मानक मद में व्यय आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी परिस्थिति में न हो।
- 3- इसके अतिरिक्त वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-1195/दस -16/94 दिनांक 06.जून,1994 तथा पत्र संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.मार्च,2018 तथा पत्र संख्या-1/2019/बी-1- 170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.मार्च,2019 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 4- आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 13 के अधीन लेखाशीर्षक"2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत संलग्नक मे दिये गये विवरण के अनुसार सुसंगत उप लेखा शीर्षक/प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- 5- उपरोक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 23-24 पर अंकित कर ली गयी है।
आपसे अनुरोध है कि पूर्ण रिकन्साइल्ड मासिक व्यय विवरण (बी0एम04)डी.डी.ओ.रिकन्सीलेशन शीट सहित आहरण के अगले माह की 10 तारीख तक इस कार्यालय में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। व्यय विवरण में कोषागार बाउचर संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय।
संलग्नक-यथोक्त।

भबदीय,

(कमलेश कुमार)
अपर आयुक्त (वित्त)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक- सी-013 / बजट अनु0/06-जिला/2019-20, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बुलन्दशहर, आजमगढ़ एवं लखनऊ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. विशेष सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
4. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर, आजमगढ़ एवं लखनऊ।
5. संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2।
6. संयुक्त आयुक्त, ग्राम्य विकास को वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
7. गार्ड फाइल हेतु।

(कमलेश कुमार)
अपर आयुक्त (वित्त)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

ई-मेल /
बजट आवंटन

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

जिला विकास अधिकारी,
बुलन्दशहर, आजमगढ़ एवं लखनऊ।

पत्रांक-सी-015 / बजट अनु0/06-जिला/ 2019-20

लखनऊ :: दिनांक :: 30, सितम्बर, 2019

विषय-वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-13 के "लेखाशीर्षक 2515 के अधीन 06-संग्रहीत जिला कार्यालय" के विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-04/2019/530/ 38-3-2019-42/2018 दिनांक 26.अप्रैल,2019द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय के अन्तर्गत दी गयी स्वीकृति रूपये 2,05,30,36,000.00(रूपये दो अरब पांच करोड़ तीस लाख छत्तीस हजार मात्र)के सापेक्ष संलग्न एलाटमेंट ग्रीड संख्या-C-015.Budget.06ZILA.2019.20 दिनांक 30-09-2019 में दिये गये विवरण के अनुसार रूपये 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) सुसंगत मद में निर्धारित वित्तीय प्राविधानों के अनुसार व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपको आवंटित की जाती है:-


- 1- यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
- 2- इस हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का भी कड़ाई से अनुपालन किया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मानक मद में व्यय आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी परिस्थिति में न हो।
- 3- इसके अतिरिक्त वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-1195/दस -16/94 दिनांक 06.जून,1994 तथा पत्र संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.मार्च,2018 तथा पत्र संख्या-1/2019/बी-1- 170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.मार्च,2019 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 4- आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 13 के अधीन लेखाशीर्षक"2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत संलग्नक मे दिये गये विवरण के अनुसार सुसंगत उप लेखा शीर्षक/प्राथमिक इकाईयो के नामे डाला जायेगा।
- 5- उपरोक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 23-24 पर अंकित कर ली गयी है।
आपसे अनुरोध है कि पूर्ण रिकन्साइल्ड मासिक व्यय विवरण (बी0एम04)डी.डी.ओ.रिकन्सीलेशन शीट सहित आहरण के अगले माह की 10 तारीख तक इस कार्यालय में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। व्यय विवरण में कोषागार बाउचर संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीयं,

(कमलेश कुमार)
अपर आयुक्त (वित्त)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक- सी-013 / बजट अनु0/06-जिला/2019-20, तद्दिनांक
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बुलन्दशहर, आजमगढ़ एवं लखनऊ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. विशेष सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
4. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर, आजमगढ़ एवं लखनऊ।
5. संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2।
6. संयुक्त आयुक्त, ग्राम्य विकास को वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
7. गार्ड फाइल हेतु।


(कमलेश कुमार)
अपर आयुक्त (वित्त)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-30/09/2019


प्रेषण संख्या:- C015.BUDGET.06ZILA.2019.20
आवंटन आदेश संख्या:- 001-C015.BUDGET.06ZILA.2019.20
अनुदान संख्या:- 13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)
102 - सामुदायिक विकास
06 - संग्रहीत जिला कार्यालय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	योग
1	बुलन्दशहर-2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि०, --01--	वर्तमान प्रगामी	10000 61000	10000 61000
2	आजमगढ़-2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि०, --01--	वर्तमान प्रगामी	10000 61000	10000 61000
3	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि०, --01--	वर्तमान प्रगामी	30000 71000	30000 71000
	योग	वर्तमान प्रगामी	50000 193000	50000 193000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचास हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक लाख तिरानवे हजार


(अरुण कुमार पाठे)


(कमलेश कुमार)
अपर आयुक्त- वित्त